



सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार निकाय

प्रलिस के लयः

सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार नकाय, भारत में सामाजिक अंकेक्षण से संबद्ध फरेमवरक, [महात्मा गांधी राषट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधनियम](#), [ग्राम सभा](#), [सुचना का अधकार अधनियम, 2005](#), सामाजिक अंकेक्षण के लयः राषट्रीय संसाधन ककष ।

मेन्स के लयः

सामाजिक अंकेक्षण की मुख्य वशिषताएँ, भारत में सामाजिक अंकेक्षण से संबंधति चुनौतयः ।

स्रोत: [इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चरचा में कयों?

हाल ही में [सामाजिक अंकेक्षण सलाहकार नकाय \(Social Audit Advisory Body - SAAB\)](#) की उद्घाटन बैठक नई दलिली के डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुई ।

- इस अग्रणी सलाहकार नकाय का उद्देश्य सामाजिक न्याय और अधकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice & Empowerment -MoSJE) को उसकी वविधि योजनाओं में सामाजिक अंकेक्षण को संस्थागत बनाने में मार्गदर्शन करना है ।

सामाजिक अंकेक्षण क्या है?

परचयः

- सामाजिक अंकेक्षण एक संगठन के सामाजिक और नैतिक प्रदर्शन को मापने, समझने, प्रेषति करने तथा अंततः सुधारने का एक तरीका है ।
- यह दक्षता और प्रभावशीलता, लक्ष्य तथा वास्तवकिता के मध्य उत्पन्न अंतराल को कम करने में सहायक है ।
- यह आकलन करता है कउनकी गतविधियः और नीतयः उनके घोषति मूल्यः तथा लक्ष्यः, वशिष रूप से समुदायः, कर्मचारयः एवं पर्यावरण पर उनके प्रभाव के साथ कतिनी सुसंगत है ।
 - हॉवरड बोवेन ने वर्ष 1953 में लखी गई अपनी पुस्तक सोशल रसिपॉन्सबिलिटीज ऑफ द बजिनेसमैन में "सोशल ऑडिट" शब्द का प्रस्ताव रखा ।

सामाजिक अंकेक्षण की मुख्य वशिषताएँ:

- तथ्यः की खोज, गलतयः की खोज नहीं ।
- वभिन्न स्तरः के हतिधारकः के बीच बातचीत के लयः स्थान और मंच सुनिश्चति करना ।
- समय पर शकियात नविरण ।
- लोकतांत्रिक प्रक्रया और संस्थाओं को मज़बूत करना ।
- कार्यक्रमः के बेहतर कार्यान्वयन के लयः लोगः का दबाव बनाना ।

सामाजिक अंकेक्षण के प्रकारः

- संगठनात्मकः कसिी कंपनी के समग्र सामाजिक उत्तरदायतिव प्रयासः का मूल्यांकन करना ।
- वशिषि्ट कार्यक्रमः कसिी वशिष कार्यक्रम के प्रभाव और प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रति करना ।
- वतितीयः वतितीय नरिणयः के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावः की समीक्षा करना ।
- हतिधारक प्रेरतिः सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रया में वभिन्न हतिधारकः को शामिल करना ।

नोटः भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड (TISCO), जमशेदपुर, वर्ष 1979 में अपने सामाजिक प्रदर्शन को मापने के लयः सामाजिक ऑडिट करने वाली पहली कंपनी थी । मज़दूर कसिान शक्ति संगठन (MKSS) ने 1990 के दशक की शुरुआत में सार्वजनिक कार्यः में भ्रष्टाचार से लड़ते हुए सामाजिक लेखा परीक्षा की अवधारणा शुरु की ।

- भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा से संबद्ध रूपरेखा:
 - **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005:** अधिनियम की धारा 17 में कहा गया है कि ग्राम सभा कार्य नष्टिपादन की नगिरानी के लिये ज़मिमेदार है।
 - प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों को कार्यक्रम कार्यान्वयन के समुदाय-संचालित सत्यापन पर जोर देते हुए कार्यान्वयन अधिकारियों से स्वतंत्र रूप से काम करना अनविर्य है।
 - मेघालय सामुदायिक भागीदारी और लोक सेवा सामाजिक लेखापरीक्षा अधिनियम, 2017: यह राज्य-स्तरीय कानून भारत में अपनी तरह का पहला कानून है, जो सामाजिक लेखापरीक्षा को एक अनविर्य अभ्यास बनाता है।
 - BOCW अधिनियम के कार्यान्वयन पर सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये रूपरेखा: शर्म और रोजगार मंत्रालय ने भवन तथा अन्य नरिमाण शर्मकि (रोज़गार और सेवा की शर्तों का वनियमन) अधिनियम, 2013 के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करने हेतु एक रूपरेखा जारी की है।
 - **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:** इसने भारत में सामाजिक लेखा परीक्षा प्रणाली का समर्थन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका नभार्ई है। यह पारदर्शिता और सूचना तक पहुँच को बढ़ाता है, जो प्रासंगिक दस्तावेज़ों तथा डेटा तक पहुँच प्रदान करके सामाजिक ऑडिट की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है।
 - सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये राष्ट्रीय संसाधन कक्ष (NRCSA): सामाजिक न्याय और अधिकारिता वभिग ने NRCSA की स्थापना की है। यह इकाई राज्य स्तर पर समर्पित सामाजिक लेखापरीक्षा इकाइयों के माध्यम से सामाजिक लेखापरीक्षा सुनश्चिति करती है।
- भारत में सामाजिक लेखापरीक्षा से संबंधित चुनौतियाँ:
 - मानकीकरण का अभाव: सामाजिक लेखापरीक्षा के लिये मानकीकृत प्रक्रियाओं की अनुपस्थितिके कारण कार्यप्रणाली और रिपोर्टिंग में भिन्नताएँ होती हैं। एकरूपता की कमी के कारण वभिन्न परियोजनाओं तथा क्षेत्रों के परिणामों की तुलना करना मुश्कल हो जाता है।
 - जागरूकता तथा क्षमता का अभाव: स्थानीय समुदायों सहित हतिधारकों के बीच सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रियाओं की सीमति जागरूकता एवं समझ इसके प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा बन सकती है।
 - सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में हाशियाई अथवा कमज़ोर समूहों की सीमति भागीदारी के कारण अपूरण अथवा पक्षपाती मूल्यांकन होता है।
 - राजनीतिक हस्तक्षेप: सामाजिक अंकेक्षण को राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है जिससे अंकेक्षण प्रक्रिया की स्वतंत्रता एवं नष्टिपक्षता प्रभावित होती है। स्थानीय अधिकारियों अथवा राजनीतिक हस्तियों का दबाव अंकेक्षण नष्टिकर्षों की अखंडता को प्राभावित करता है।
 - संसाधन का अभाव: सामाजिक अंकेक्षण के लिये वत्तितय तथा मानव दोनों तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। कई स्थानीय नकियायों के पास व्यापक सामाजिक अंकेक्षण करने के लिये आवश्यक धन व वशिषज्जता का अभाव है, जिससे उनकी प्रभावशीलता सीमति हो जाती है।
 - सीमति क्षमता तथा प्रशकिषण: सामाजिक अंकेक्षण इकाइयों, जनिका उद्देश्य कदाचार से संबंधित सभी मामलों का पता लगाना है, नधि एवं प्रशकिषित पेशेवरों की कमी का सामना करती हैं।

आगे की राह

- पारदर्शिता के लिये ब्लॉकचेन: सामाजिक अंकेक्षण में पारदर्शिता तथा अखंडता बढ़ाने के लिये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। ब्लॉकचेन अंकेक्षण संबंधी जानकारी संग्रहीत करने, डेटा की प्रामाणिकता सुनश्चिति करने के लिये एक सुरक्षित एवं हस्तक्षेप-रोधी मंच प्रदान कर सकता है।
- पहुँच और प्रतनिधित्व: अंकेक्षण प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना तथा जानकारी की स्थानीय भाषाओं एवं प्रारूपों में उपलब्धता सुनश्चिति करना।
 - लक्षित प्रोत्साहनों के माध्यम से हाशियाई समूहों, महिलाओं एवं युवाओं की वविधि भागीदारी सुनश्चिति करना।
- मानकीकरण तथा व्हसिलबलोअर संरक्षण: वभिन्न कार्यक्रमों तथा राज्यों में सामाजिक अंकेक्षण करने के लिये स्पष्ट एवं समान दिशानरिदेश वकिसति करना।
 - अनयिमतिताओं की रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के लिये सुदृढ़ वधिक सुरक्षा उपाय कार्यान्वित करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. न्यायपालिका सहित सार्वजनिक सेवा के हर क्षेत्र में नष्टिपादन, जवाबदेही और नैतिक आचरण सुनश्चिति करने के लिये एक स्वतंत्र तथा सशक्त सामाजिक अंकेक्षण तंत्र परम आवश्यक है। सवसितार समझाइये। (2021)